

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी— श्री ओ०पी० बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 05/2017

प्रार्थी

भूराराम गोदारा
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी

चौखाराम पुत्र रूपाराम जाति बिश्नोई
निवासी कांधी की ढाणी गुड़ामालानी
जिला बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित:—1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर उपस्थित।
2. विप्रार्थी एक तरफ।

निर्णय

दिनांक 7-2-2018



1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.9.2016 को दौराने निरीक्षण प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मैसर्स शिवम दूध डेयरी गुड़ामालानी पहुंचने पर डेयरी मालिक चौखाराम पुत्र रूपाराम जाति बिश्नोई निवासी कांधी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी वैठा हुआ मिला। निरीक्षण करने पर डेयरी में रखे एक फ्रीज में करीब 50-60 लीटर दूध (मिक्स) आम जनता को विक्रय करने हेतु भरा हुआ पाया गया। डेयरी मालिक से वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर नहीं होना बताया है। फ्रीज में रखे दूध में मिलावट का सन्देह होने पर रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में उक्त दूध में से दो लीटर दूध नपवा कर चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियों में बराबर मात्रा में

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

भरा गया, जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 60/- रूपये अदा किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एवं स्लीप कोड एवं सिरियल नम्बर पी.689 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को कौंस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों के एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनों को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.689 जाँच हेतु खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया गया, जिसका प्रयोग चारो नमूनों को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर कर, नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनों का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि खाद्य पेय पदार्थ दूध (मिक्स) का नमूना पी.689 की जाँच रिपोर्ट एलएस/1081 /एक्ट/2016/1113 दिनांक 27.9.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जाँच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना जाँच में दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पेय पदार्थ दूध (मिक्स) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद निस्तारण हेतु पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एवं संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.689 जाँच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।
3. बहस एक तरफा सुनी गई। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 10.9.2016 को मैसर्स शिव दूध डेयरी गुडामालानी में रखे एक फ्रीज में करीब 50-60 लीटर दूध (मिक्स) आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा हुआ था। उक्त दूध में मिलावट होने का सन्देह होने पर दूध का नियमानुसार नमूना लिया गया। जांच के दौरान दूध (मिक्स) का नमूना पी.689 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन है, फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।
4. परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट संख्या एलएस/1081/एक्ट/2016/1113 दिनांक 27.9.2016 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान में विक्रय किया जा रहा दूध (मिक्स) का नमूना, जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होते हैं।
5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी चौखाराम द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत पाये गये दूध (मिक्स) का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Standard) का दूध रखने एवं बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थी चौखाराम पर 5000/- (अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख से एक माह के अंदर- अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।



(ओपीओबिशनोई)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक १-२-२०१८ को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर